

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

सुर्चना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
28/18	53 RTA	रीडर	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राजेश	बनाम	कासिका	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27/11/18	वकील का. द्वारा एक न्यायालय अंतर्गत धारा-53 RTA विरुद्ध छ.पी.टी.पी. रिपोर्ट सविनय अवज्ञा का प्रकरण दर्ज रजिस्टर नं. 15/15/18 में पेश किया गया है।	
26/11/18	वकील फरीदपुर जिला अदालत/पत्रावली न्यायालय, कोष कोर्ट पर चालू पर चालू दिनांक 11/6/18 को पेश हो	17/11/18 का. 8,9,11
11/6/18	राजेश लोक अदालत अभियंता न्याय जापके द्वार 2018	11/6/18 का. 11/6/18
30/7/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/11/18 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
8/11/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/11/19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
22/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील का. 3501 तलवा समक अदालत। वरते इंतजार समक पत्रावली दिनांक 22/11/19 को पेश हो।	
5/11/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/11/19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	5/6/7

13⁷/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी / पक्षकारों को एक-एक कर तीन बार आवान लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। पुनश्च वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 29/8/22 को पेश हो।

29⁸/₂₂

अपनी पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29/11/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

9¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। बहुलाए परीकेंत उपस्थित। जवाब पेश नहीं हुआ है समय —चाड़ा है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

20¹²/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी को तीन बार एक एक कर आवान लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।